शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई–पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 48 अंक–34 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 21–28 अगस्त 2023 मूल्य पांच रूपये

भ्रष्टाचार के आरोपों पर धारा 505(2) का दुरुपयोग महंगा पड़ सकता है

- मीणा की एफ.आई.आर. से उभरी चर्चा
- क्या 505(2) के प्रयोग से भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती आवाजों को दबाने का प्रयास हो रहा है
- प्रवीण गुप्ता की एफ.आई.आर. की जांच रिपोर्ट कहां है

शिमला/शैल। प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली को लेकर जारी हुआ दूसरा पत्र बम्ब वायरल होकर चर्चा में आने के बाद कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा ने इस पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुये इसमें मामला दर्ज किये जाने की मांग की है। मीणा ने पत्र में दर्ज आरोपों को झुठ करार देते हुये इसे उनकी छवि खराब करने का प्रयास कहा है। पुलिस ने मीणा के आग्रह पर अज्ञात लोगों के खिलाफ आई.पी. सी. की धारा 500 और 505(2) के तहत मानहानि का मामला दर्ज कर लिया है। इसमें लगायी गयी धारा 505(2) से यह मामला अपने में ही रोचक बन गया है। क्योंकि यह धारा तब लगती है जब विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनायें पैदा करने के आश्य से पूजा के स्थान आदि में झूठे ब्यान या भाषण देना आदि हो। ये गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है। यदि धारा 505(2) न लगायी जाये तो धारा 500 में यह पुलिस का एफ.आई.आर. दर्ज करने का योग्य मामला बनता ही नहीं है। धारा 505(2) को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय का 6-5-2022 को याचिका संख्या 2954 of 2018 में आया फैसला विस्तार से इसे स्पष्ट कर देता है। यह याचिका भी एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक पत्रकार के खिलाफ ही दायर किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के भी कई फैसले प्रसंग में आये हैं। इस फैसले में मुंबई उच्च न्यायालय ने धारा 505(2) की विस्तृत व्यारव्या करते हुये कड़ी टिप्पणी के साथ एफ.आई.आर. को रद्द किया है।

वर्तमान संदर्भ में यह चर्चा इसलिये उठाई जा रही है कि भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष उठती आवाजों को दबाने के प्रयास में हिमाचल पुलिस धारा 505(2) के तहत अंसज्ञेय मामलों को संज्ञेय बनाने की नीति पर चल रही है। कानून के जानकारों के मुताबिक पावर कारपोरेशन को लेकर जो पत्र वायरल हुये हैं उनमें किसी भी गणित से धारा 505(2) पिक्चर में आयी ही नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है की क्या हिमाचल पुलिस का थाने तक का स्टाफ इस धारा को लेकर अपने में स्पष्ट नहीं है या ऊपर के निर्देशों पर मामलों को दबाने के प्रयासों में ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि जयराम सरकार कार्यकाल में भी प्रवीण गुप्ता द्वारा थाना सदर शिमला में इसी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसका जांच परिणाम आज तक सामने नहीं आया है।

वैसे तो पुलिस में किसी भी मामले की जांच करने के लिये सोर्स रिपोर्ट का भी प्रावधान है। क्योंकि कई बार शिकायतकर्ता नामत: सामने आने का साहस नहीं कर पाता है। अभी जो मामला पावर कारपोरेशन का वायरल पत्रों के माध्यम से चर्चा में आया है अब उसमें यह एफ. आई.आर. दर्ज होने के बाद पत्रों में संदर्भित अधिकारियों/कर्मचारियों और राजनेताओं के ब्यान दर्ज करना और संबंधित रिकार्ड की जांच करना आवश्यक हो जायेगा। क्योंकि दर्ज हुई एफ.आई.आर. का निपटारा तो अदालत में ही होना है चाहे उसमें चालान दायर हो या कैंसलेशन रिपोर्ट। अब यह मामले जन संज्ञान में आ चुके हैं। फिर पावर कारपोरेशन में जो पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के संदर्भ में है वह पहले से ही सी.बी.आई. के रॉडार पर चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस एफ.आई.आर. के माध्यम से आवाज दबाने का प्रयास किया गया है वह अब कई लोगों के गले की फांस बन जायेगी। क्योंकि पत्रों में दर्ज आरोपों की जांच किया जाना आवश्यक हो जायेगा। धारा 505 (2) का दुरुपयोग महंगा पड़ सकता है।

प्रतिभा सिंह कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की स्थाई आमंत्रित सदस्य बनी

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा सांसद प्रतिभा सिंह पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की स्थाई आमंत्रित सदस्य बना दी गयी है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिमाचल से दो ही सदस्य हैं। दूसरे सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री आनन्द शर्मा हैं। प्रतिभा सिंह का स्थाई आमंत्रित सदस्य बनना प्रदेश के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना मानी जा रही है। क्योंकि जब से सुक्खू सरकार बनी है तभी से संगठन और सरकार में उचित तालमेल न होने के आरोप लगते आये हैं। स्थिती यहां तक पहुंच गयी कि प्रतिभा सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से मिलकर यह कहना कि वह उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी होने की बात पूर्व अध्यक्ष विधायक कुलदीप राठौर भी लगा चुके हैं। पार्टी विधायकों राजेन्द्र राणा और सुधीर शर्मा भी अपने को किस कदर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं यह पिछले दिनों आये उनके ट्वीट स्पष्ट कर चुके हैं। पूर्व विधायक नीरज भारती तो मुख्यमंत्री के व्यवस्था परिवर्तन के सूत्र पर जिस तरह का तंज कस चुके हैं वह भी अपने में बहुत कुछ कह जाता है।

सरकार ने अभी शिमला की पराला मण्डी में पन्द्रह लोगों की तैनाती की है। इन पन्द्रह में से ग्यारह हमीरपुर से ताल्लुक रखते हैं। इन नियुक्तियों से स्थानीय युवाओं में भारी रोष देखने को मिला है। स्थानीय युवाओं ने विधायक कुलदीप राठौर के सामने नारे लगाकर अपना रोष प्रकट किया है। ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जहां बेरोजगार युवा अपना रोष प्रकट कर चुके हैं। इस तरह पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर बेरोजगार युवाओं के बीच सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर रोष पनपता जा रहा है। अभी राशन डिपुओं में सस्ते राशन की दरों में भी काफी बढ़ौतरी की जा रही है। इस तरह सरकार के खिलाफ नाराज लोगों की संख्या अनचाहे ही बढ़ते जा रही है।

ऐसे समय में प्रतिभा सिंह का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनना इसलिये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे आम आदमी की पीड़ा और नाराजगी को हाई कमान के पास पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम कार्यकर्ताओं और आम आदमी को मिल जाता है। इस नियुक्ति से उन भ्रांतियां को भी विराम मिल जायेगा जिनके माध्यम से प्रतिभा सिंह को ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाये जाने की चर्चाओं को प्रचारित किया जा रहा था।

सरकार द्वारा एम.आई.एस. के तहत 143778 मीट्रिक टन सेब खरीदने का लक्ष्य निर्धारित: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार ने सेब उत्पादकों को लाभ प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 10.50 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। प्रदेश सरकार ने सेब उत्पादकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से पहली बार 1.50 रुपये की वृद्धि की है। सेब के अलावा, राज्य सरकार ने एमआईएस के तहत आम, किन्नू, माल्टा और संतरे की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 10.50 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। पहली बार नींबू की खरीद भी एमआईएस के तहत गलगल के बराबर यानी 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर की जाएगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एमआईएस के तहत 1,43,778 मीट्रिक टन सेब की खरीद की जाएगी और बागवानों की सुविधा के लिए 312 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एचपीएमसी द्वारा 210 खरीद केंद्र और शेष 102 केंद्र हिमफेड द्वारा संचालित किए जाएंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय से सेब उत्पादकों को लगभग 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के दृष्टिगत खरीद उद्देश्यों के लिए सीडलिंग, ग्राफ्टेड और कच्चा अचारी आम के खरीद अंतर को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले आम की विभिन्न किस्मों को अलग-अलग दरों पर खरीदने का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने आम की तीनों किस्मों के लिए खरीद दर एक समान करने का निर्णय लिया है और 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम की खरीद की जाएगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किन्नू, माल्टा और संतरे की खरीद दर भी सेब और आम के समान दर पर लाने का निर्णय लिया है। नींबू प्रजाति के ये फल भी अब सेब और आम के बराबर 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे जाएंगे। इसके अलावा, किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने किन्नू, माल्टा और संतरे की खरीद के लिए ग्रेड प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के दौरान 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गलगल और नींबू की भी खरीद की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फल उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए मंडी मध्यस्थता योजना कारगर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत किसान और बागवान हितैषी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में किसानों को और अधिक सहयोग प्रदान करने के लिए कीटनाशकों व फफूंदनाशकों को उपदान पर प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विभिन्न प्रजाति के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई नवोन्मेषी प्रयास कर रही है। सरकार किसानों के लिए उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजभवन में राज्यपाल

शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने और भू-स्खलन के कारण हुई जान-माल की क्षति से अवगत करवाया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यो और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए किए गए कार्यो के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और सड़क एवं परिवहन व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को 18 से 25 सितंबर तक शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के बारे में भी जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में पूरा प्रदेश प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की सराहना करते हुए कहा कि बचाव एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए गए, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है।

इमारती लकड़ी तस्करी पर रोक के दृष्टिगत वन व पुलिस सीमा चौकियां होंगी एकीकृत: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश से लकड़ियों की तस्करी से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वन विभाग की चौकियों को पुलिस सीमा चौकियों के साथ एकीकृत करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने वन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इमारती लकड़ी की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए इन एकीकृत चौकियों पर सीसीटीवी निगरानी सहित अत्याधुनिक तकनीक अपनाने पर बल दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इमारती लकड़ी की तस्करी से राज्य सरकार को राजस्व की हानि होती है। उन्होंने वन विभाग को लकड़ी के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए सक्रिय एवं कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन और पुलिस चौकियों के एकीकरण से व्यापक निगरानी एवं इमारती लकड़ी चोरी के विरूद्ध प्रभावी कदम सुनिश्चित होंगे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जंगल उत्तरी भारत को प्राणवायु प्रदान करते हैं और वन राज्य की मूल्यवान संपत्ति हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश से प्रदेश की वन सम्पदा को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने वन विभाग को वन भूमि में गिरे पेड़ों को तुरंत हटाने और उनका उचित निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने राज्य के पांच वन मण्डलों में खैर के पेड़ों की कटाई की कार्य योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वन विभाग इस कार्य योजना पर तत्परता से काम करते हुए बरसात का मौसम समाप्त होने के उपरान्त समयबद्ध तरीके से इसे क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस वर्ष मई माह में प्रदेश के पांच वन मण्डलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़ में खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति प्रदान की गई है। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव अमनदीप गर्ग, सचिव (गृह) डॉ. अभिषेक जैन, विधि सचिव शरद लगवाल, पीसीसीएफ (हॉफ) राजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कारवाई सुनिश्चित कर रही प्रदेश सरकार:बागवानी मंत्री

शिमला/शैल। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों के कल्याण के लिए हाल ही में लिए गए निर्णयों को सख्ती से लागू करने के हरसंभव प्रयास कर रही है। किसी को भी नियमों की अवेहलना की अनुमति नहीं दी जाएगी और उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कड़ी कारवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम-2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कृषि उपज विपणन समिति ने कड़ा संज्ञान लेते हुए बकाएदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

बागवानी मंत्री ने कहा कि इन उल्लंघनकर्ताओं द्वारा सेब और नाशपाती को बिना वजन के क्रय और विक्रय किया गया। इनमें से एक डिफॉल्टर कृषि विभाग द्वारा जारी लाइसेंस के बिना मार्केट यार्ड पराला में कारोबार कर रहा था। दूसरा उल्लंघनकर्ता मार्केट यार्ड रोहडू में वजन के आधार पर फलों की बिक्री और खरीद के सरकारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहा था। जगत सिंह नेगी ने कहा कि दोषी पाये जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत उल्लंघनकर्ताओं के पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिए जाएंगे।

प्रदेश के किसानों के लिए कॉफी को नकदी फसल बनाने पर चर्चा

शिमला/शैल। हिमाचल के उपयुक्त क्षेत्रों के लिए कॉफी को नकदी फसल बनाने के लिए विभिन्न मुद्दों और अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की संस्थागत विकास योजना (एन.ए.एच.ई.पी. आई.डी.पी.) के समर्थन से आयोजित किया गया।

घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी, जिन्होंने राज्य में बड़े स्तर पर कॉफी की खेती की संभावना पर विभिन्न हितधारकों के बीच चर्चा शुरू की है, इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे। धर्माणी ने विभिन्न कॉफी पर किस्मों जो अनुकूल वातावरण वाले क्षेत्रों में खेती के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, पर शोध करने के लिए विश्वविद्यालय से की तकनीकी सहयोग मांगा है।

उद्योग विशेषज्ञों, कर्नाटक से आये कॉफी उद्यमियों, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और कॉफी नर्सरी पर कार्य कर रहे संबंधित विभागों के अधिकारियों की सभा को संबोधित करते हुये धर्माणी ने कहा कि बिलासपुर जिले के कुछ हिस्सों में कुछ किसानों द्वारा कॉफी उगाई जा रही है और इसकी संभावना पर आगे शोध अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खेती की संभावना खोजी जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और संबंधित विभाग इस उद्देश्य में मदद कर सकते हैं और एक नई नकदी फसल की खेती का मार्ग दिखा सकते हैं।

कर्नाटक के कॉफी विशेषज्ञों और उद्यमियों ने भी कॉफी की खेती के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किये। स्वेन विंसेंट गोवेस और प्रियंका वास नाइक ने जलवायु परिस्थितियों, विभिन्न किस्मों, कटाई और कॉफी के साथ उगाई जा सकने वाली अन्य सह फसलों सहित विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने साझा किया कि भारत को उसकी छाया में उगाई जाने वाली कॉफी के लिए जाना जाता है। दो मुख्य किस्में, अरेबिका और रोबस्टा यहां मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। वैश्विक कॉफी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी केवल 3 प्रतिशत थी और इस उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत निर्यात किया जाता है जिससे हजारों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। डॉ. अरुण भारद्वाज ने विभिन्न ब्रांडिंग रणनीतियों को साझा किया जो कॉफी उत्पादकों द्वारा अपनी उपज का मूल्य बढ़ाने के लिए अपनाई गई हैं।

कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने उन क्षेत्रों में कॉफी पर अनुसंधान परीक्षण आयोजित करने में विश्वविद्यालय के सभी समर्थन का आश्वासन दिया, जहां इसकी खेती के लिए उपयुक्त स्थितियां हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्रों को अनुसंधान समस्याएं सौंपने के साथ-साथ विश्वविद्यालय और नेरी कॉलेज में परीक्षण शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय राज्य में कॉफी की खेती पर पहले से किए गए काम को आगे बढ़ाएगा। कॉफी में हिमाचल के लिए एक नई नकदी फसल बनने की गुंजाइश है। इससे फसल विविधीकरण में मदद मिलेगी और एक ही फसल पर निर्भरता कम होगी।

डॉ. केके रैना, एनएएचईपी आईडीपी के प्रधान अन्वेषक ने इस परियोजना के तहत विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कौशल उन्नयन और उद्यमिता गतिविधियों के बारे में बताया। उद्यमिता विकास पर एक बातचीत सत्र भी आयोजित किया गया जहां विशेषज्ञों ने छात्रों के साथ अपनी उद्यमशीलता की यात्रा साझा की और उन्हें कृषि क्षेत्र में अपने उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन अनुसंधान निदेशक डॉ. संजीव चौहान के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के वैधानिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष और वैज्ञानिक, अधिकारी शामिल हुए।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा: डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण (ईएसओएमएसए) के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में

लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विभाग द्वारा इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि ज़िला शिमला के रझाणा में हिमाचल प्रदेश कोली समाज सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया जाएगा। इस केन्द्र के निर्मित होने से प्रदेश के सभी वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने अधिकारियों से इस संबंध में एफसीए मामले के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों को परियोजना निर्माण क्षेत्र का सर्वेक्षण कर शीघ्र रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक केन्द्र के निर्माण की निष्पादन एजेंसी हिमुडा को विभाग द्वारा 30 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए इस सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा वृद्धावस्था पैंशन योजना, अपंग राहत भत्ता, विधवा पैंशन तथा कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कौशल का उन्नयन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

बैठक में निदेशक ई.एस.ओ.एम.एस.ए. प्रदीप कुमार ठाकुर सहित वन, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड, हिमुडा सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नीतिगत परिवर्तन और नए कानूनों से चुनौतियों से पार पाएगी प्रदेश सरकारः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के गेयटी थियेटर में नाटक 'रावी पार' के मंचन पर बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। रिक्रिएशन आर्ट एंड कल्चरल क्लब

हिमाचल प्रदेश सचिवालय, द लिटल ग्रुप क्लब और भाषा कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दो दिवसीय इस कार्यक्रम से अर्जित आय आपदा राहत कोष में प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने नाटक के बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य विकट वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है लेकिन राज्य सरकार नीतिगत परिवर्तन और नये कानूनों से इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार संसाधन जुटाने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है और सभी के सहयोग से हिमाचल आगामी चार वर्षों में आत्मनिर्भर और दस वर्षों में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय राज्य बरसात में आई आपदा की त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। महत्त्वपूर्ण सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने के लिए राज्य सरकार दिन-रात प्रयासरत है। किसानों और बागवानों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और उनके वित्तीय नुकसान को कम करने के दृष्टिगत परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए अस्थाई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों की मदद करने के लिए संवेदनशील है। उन्होंने चंद्रताल में चलाए गए बचाव अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी के नेतृत्व में यह असाधारण बचाव अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि 14000 फीट की ऊँचाई पर चन्द्रताल झील में माइनस चार डिग्री तापमान में फंसे 300 लोगों को बचाने में इन दोनों के व्यक्तिगत प्रयास भी सराहनीय रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारपरक शिक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, महापौर सुरेन्द्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

बारिश से हुई क्षति व बहाली कार्यों का जायजा लेंगे उप-मुख्यमंत्री व मंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में गत 13 से 17 अगस्त, 2023 के मध्य भारी बरसात के कारण हुई क्षति तथा प्रभावित क्षेत्रों में जारी बहाली कार्यों की समीक्षा के लिए प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, उप-मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री 28 अगस्त के बाद जिलों के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बिलासपुर व ऊना तथा उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री कांगड़ा जिला में बहाली कार्यों का जायजा लेंगे। इसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल जिला हमीरपुर, कृषि मंत्री चन्द्र कुमार शिमला, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान मण्डी, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सोलन और किन्नौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कुल्लू, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह चम्बा और लाहौल-स्पिति तथा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सिरमौर जिला में जारी बहाली कार्यों का जायजा लेंगे।

सरकारी कार्यक्रमों में औपचारिक सम्मान की रस्म पर 31 अक्तूबर तक रोक:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। व्यवस्था परिवर्तन की भावना से कार्य कर रही प्रदेश सरकार ने एक और महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए 31 अक्तूबर 2023 तक विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के दौरान शॉल, टोपी और पुष्पगुच्छ इत्यादि के माध्यम से गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित करने की रस्म पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इस निर्देशानुसार 31 अक्तूबर, 2023 तक सरकारी कार्यक्रमों में कोई औपचारिक सम्मान समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा।

इससे पहले प्रदेश सरकार द्वारा 15 सितम्बर, 2023 तक क्षेत्र के दौरे के दौरान अति विशिष्ट व्यक्तियों को पारम्परिक रूप से दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर को भी निलंबित किया गया है। यह निर्णय व्यवस्था में सार्थक एवं सकारात्मक परिवर्तन लाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए संसाधनों के समुचित उपयोग तथा प्रशासन में औपचारिकता के बजाय संवेदनशील व प्रभावी कार्य संस्कृति के समावेश को भी रेखांकित करता है।

ब्यास व इसकी सहायक नदियों में स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने ब्यास नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों में स्टोन क्रशर के प्रयोग को तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान मौजूदा परिस्थितियों और कांगड़ा जिले में चक्की नदी सहित कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में ब्यास और इसकी सहायक नदियों में पारिस्थितिकी के खतरनाक परिवर्तन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

इस निर्णय के अनुसार अगले आदेश तक बारहमासी और गैर-बारहमासी दोनों नालों के सभी स्टोन क्रशर के संचालन को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत राज्य की नाजुक पारिस्थितिकी और पर्यावरण को संरक्षित करने, बस्तियों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि, वैध खनन के लिए जारी को रद्द नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा कैप्टिव और अस्थायी स्टोन क्रशर इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग को इस प्रकार की विनाशकारी स्थिति उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान करने के लिए आई.आई.टी., एन.आई.टी., अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों से तुरंत उच्च स्तरीय विशेषज्ञ परामर्श लेने के निर्देश दिए गए हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विभाग अवैज्ञानिक और अवैध खनन गतिविधियों के संचयी प्रभाव के मूल्यांकन के लिए एक बहु क्षेत्रिय विशेषज्ञ समिति का गठन करके एक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन भी करेगा। इस अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर दूरी से संबंधित परिसीमाएं फिर से परिभाषित की जाएंगी ताकि नदियों के समीप पर्यावरण को संरक्षित करने और राज्य में अन्य ऐसी किसी भी मानवजनित आपदा से बचने के लिए ऐसे कार्यों का विनियमन और प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

शीघ्र जारी होगी नए भर्ती आयोग की अधिसूचना:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर नये भर्ती आयोग की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। नए आयोग की रूपरेखा पर सिफारिशें देने के लिए गठित दीपक शानन समिति ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नये भर्ती आयोग की कार्यक्षमता पर एक प्रस्तुति दी।

समिति ने प्रस्तावित भर्ती आयोग के संचालन में पारदर्शिता, संरचनात्मक समग्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों पर प्रस्तुति दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं के हितों को प्राथमिकता देने वाली पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नया आयोग पूरी तरह से योग्यता-आधारित चयन पर केन्द्रित होगा और पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं जैसी कुरीतियों पर रोक लगाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई प्रणाली में परीक्षा के दौरान मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए अचूक तरीकों को नियोजित करने पर ध्यान केन्द्रित कर इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। परीक्षा पत्र तैयार करने, भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और भ्रष्टाचार से निपटने में आधुनिक उपकरणों, प्रक्रियाओं और तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए चयन आयोग का गठन होते ही भर्तियां आरम्भ कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी तथा भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार के हेर-फेर के प्रति कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का निर्णय बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को दूर करने के दृष्टिगत आवश्यक था।

समिति के अध्यक्ष दीपक शानन ने कहा कि प्रस्तावित आयोग से संबंधी दूसरी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें आयोग की कार्यप्रणाली का और अधिक सटीक विवरण दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, सचिव शिक्षा डॉ. अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, दीपक शानन समिति के सदस्य और निदेशक डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस मुकेश रेप्सवाल सहित अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना से संवरेगा युवाओं का भविष्य

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि इस योजना से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य का कोई भी युवा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उच्च या व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिस परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है, उस परिवार का छात्र इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां बैंक को शुल्क राशि की पहली किस्त जारी करने में समय लग रहा है, संबंधित संस्थान को शुल्क राशि की पहली किस्त जारी करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय के स्तर पर एक कोष बनाया जाएगा ताकि छात्र को संस्थान में प्रवेश लेने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग से पात्र छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण के बदले ब्याज सब्सिडी का दावा करने के लिए एक नोडल बैंक नामित करेगी। उन्होंने कहा कि नोडल बैंक उच्च शिक्षा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करेगा। उन्होंने कहा कि ऋण लेने वाले विद्यार्थियों को अपनी पसंद के संस्थान में प्रवेश पाने से पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा और योजना के तहत अपने आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके पश्चात विद्यार्थी को प्रवेश में चयनित होने का प्रमाणन करने से संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। विद्यार्थी के पात्र पाए जाने पर उच्च शिक्षा निदेशक ऋण की पहली किस्त जारी करने के लिए संबंधित बैंक को मामले की सिफारिश करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत पात्र विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत विद्यार्थी बोर्डिंग, आवास, ट्यूशन फीस, किताबें और उनकी शिक्षा से जुड़े अन्य संबद्ध खर्चों को पूरा करने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण ले सकते हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली कक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरा मेडिकल फार्मेसी, नर्सिंग, विधि इत्यादि में डिप्लोमा व डिग्री कोर्स तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बहुतकनीकी संस्थानों से तकनीकी कोर्स तथा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से पी.एच.डी. करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज़ की दर से ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक ऋण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों के पंजीकरण एवं प्रवेश तिथि को आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और छात्रों की प्रगति की निगरानी के लिए नियमित अवधि में योजना के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग शिकायत निवारण अधिकारी नामित करेगा, जिसके पास छात्र ईमेल, डाक या किसी डिजिटल माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब छात्रों को उनकी क्षमता के अनुरूप जीवन में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करेगी।

कोमल स्वभाव वाला व्यक्ति अपने आश्रितों से भी अपमानित होता है।

...... आचार्य चाणक्य

सम्पादकीय

विनाश में भविष्य का फैसला वर्तमान की परीक्षा होगी

प्रदेश भर में इस मानसून सत्र से जो तबाही हुई है उससे कुछ बुनियादी सवाल भी उठ खड़े हुये हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इस विनाश के लिये क्या प्रकृति ही जिम्मेदार है या सरकार की नीतियों और हमारा लालच भी बराबर का जिम्मेदार रहा है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है की सरकार की नीतियां लालच से ज्यादा जिम्मेदार रही है। क्योंकि जब नीतियों में ढील दी जाती है तो उससे लालच बढ़ता जाता है। हिमाचल में गैर कृषक गैर हिमाचली को जमीन खरीदने पर मूलतः प्रबंध रहा है। इस प्रतिबंध में ढील देने के लिये भू-राजस्व अधिनियम की धारा 118 में सरकारी अनुमति का प्रावधान करके इस खरीद का मार्ग प्रशस्त किया गया। इस प्रावधान का इतना दुरूपयोग हुआ है की सरकारों पर हिमाचल को बेचने के आरोप लगे। बेनामी खरीदो पर चार बार जांच आयोग बैठाये गये। हर जांच रिपोर्ट में सैकड़ो मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन किसी भी रिपोर्ट पर कोई अंतिम कारवाई नहीं हो पायी है। इसी का परिणाम है कि हर एक पर्यटक स्थल पर गैर हिमाचली गैर कृषक व्यवसायिक परिसर बनाकर बैठे हुये है। प्रदेश में कार्यरत गैर हिमाचली गैर कृषक अधिकारियों ने भी जब यहां जमीन खरीदनी शुरू की तब यह भी प्रावधान नहीं किया गया की एक व्यक्ति को धारा 118 के तहत कितनी बार जमीन खरीद की अनुमति मिल सकती है।

जमीन खरीद पर प्रतिबंध के साथ ही लैंड सीलिंग एक्ट के तहत अधिकतम भूमि सीमा का भी प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध के तहत 161 बीघा या 300 कनाल से अधिक जमीन नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन जल विद्युत परियोजनाओं और सीमेंट उद्योगों के लिए यह सीमा में छूट दे दी गयी। यही नहीं राधा स्वामी सत्संग व्यास के लिये भी इसमें छूट दे दी गयी और इस संस्था को कृषक का दर्जा भी अदालत के माध्यम से दिला दिया गया और इस फैसले की कोई अपील तक नहीं की गयी। इसी का परिणाम है की राधा स्वामी सत्संग व्यास के पास आज हजारों बिघा जमीन है। अब तो 1974 में पारित लैंड सीलिंग एक्ट में भी संशोधन करके एक नया आयाम स्थापित कर दिया गया है। इस संशोधन के लाभार्थी कौन होंगे यह नई चर्चा का विषय बन जायेगा। रियल स्टेट प्रदेश में एक पूरा उद्योग बन गया जबकि नये स्थापित उद्योगिक क्षेत्रों में लेबर को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये ऐसे निर्माणों को अनुमति दी गई थी।

इसी तरह भवन निर्माण के लिए जो स्थाई पॉलिसी 1979 में बनाई जानी थी वह आज 2023 में भी अंतरिम आधार पर ही चल रही है। क्योंकि स्थाई योजना एनजीटी के आदेश के बाद केवल शिमला के लिये ही बन पायी और वह सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रही है। भवन निर्माणों में अवैधताओं को कैसे लालच का रूप लेने दिया गया इसका खुलासा अब तक लायी गयी रिटैन्शन पॉलिसीयों से हो जाता है। जिस विकास के नाम पर इन अवैधताओं को बढ़ावा दिया जाता रहा है उसे सब का सामूहिक परिणाम है यह विनाश। इस विनाश में जहां प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचना प्राथमिकता है तो उसी के साथ यह पुनर्निर्माण भी आवश्यक है। निर्माण की अनिवार्यता और राहत की तात्कालिक आवश्यकता के साथ ही भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखकर अगले फैसले लेने होंगे। यह निष्पक्षता से विचार करना होगा की क्या शिमला राजधानी के तौर पर भविष्य की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा कर पायेगा। जो लोग कल तक किन्हीं कारणों से एनजीटी के फैसले का विरोध कर रहे थे उन्हें अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर खुले मन से इस विनाश के परिपेक्ष में फैसला लेना होगा। यह फैसला आज की राजनीतिक और प्रशासनिक पीढ़ियां की परीक्षा भी साबित होगी।

सामान्य-सी घटना को सांप्रदायिक रंग देना भारत को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा

गौतम चौधरी

भारत को बदनाम करने वाले और देश की एकता व अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाले किस तरह किसी छोटे से विवाद को साम्प्रदायिक रंग देते हैं, उसका एक उदाहरण अभी हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार में देखने को मिला। पिछले दिनों उत्तराखंड स्थित हरिद्वार जिले के मंगलोर में एक छोटी-सी घटना घटी। दरअसल, कांवड़ यात्रा के दौरान, एक कार चालक के साथ कावड़ियों का विवाद हो गया। कार चालक का नाम प्रताप सिंह है। इस मामले में कुछ लोगों ने हिन्दू और मुसलमान का एंगल ढुंढ निकाला, इसका कारण बस यह था कि प्रताप की गाड़ी में जो महिला बैठी थी वह न केवल उसकी दोस्त थी बल्कि मुसलमान थी। बस, देश को बदनाम करने वालों के लिए इतना ही काफी था। वीडियो बनाये गये। उसे वायरल किया गया। वीडियो के माध्यम से एक संप्रदाय विशेष को बताया गया कि कांवड़ियों ने एक खास संप्रदाय की महिला के साथ अन्याय किया है। वास्तविकता तो यह है कि इस घटना में ऐसा कुछ भी नहीं है।

मामला तूल पकड़ने लगा। देश तोड़क शक्तियों को तो मसाला चाहिए था। सो मसाला मिल गया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। घटना की वीडियो वायरल होने लगी। भारत में बैठ देश विरोधियों ने देश के बाहर की शक्तियों के साथ मानो समझौता कर लिया हो। इस प्रकार की घटना को रंग दिया जाने लगा। यहां तक कहा जाने लगा कि यह देश अब मुसलमानों के रहने लायक नहीं रहा। गोया, भारत के मुसलमान खतरे में हैं। विदेशी पैसों से संचालित कुछ समाचार माध्यमों ने तो मानों नैरेटिव भी गढ़ना प्रारंभ कर दिया हो। घटना को हिन्दू बनाम मुस्लिम में बदल दिया गया। साम्प्रदायिक अभियान चलाने वाले कुछ भारे के लोग सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने लगे, जबकि यह मामला सामान्य आपराधिक घटना भर था। इससे न तो किसी हिन्दू को कुछ लेना था और न ही मुसलमान को।

इस घटना की सच्चाई यह है कि प्रताप सिंह और कांवड़ियों के बीच हरिद्वार के मंगलोर थाने के गुड़मंडी के पास झड़प हुई थी। प्रताप सिंह एक मुस्लिम महिला के साथ कहीं जा रहे थे। उनकी गाड़ी ने किसी कांवड़िये को हल्की टक्कर मार दी। आरोप है कि उस टक्कर से कांवड़िये का गंगाजल बिखर गया। जिसके बाद झड़प तेज हो गया और कांवड़िये के समूह ने प्रताप की गाड़ी पलट दी। इस घटना में उत्तराखंड पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और बल प्रयोग कर कांवड़िये से प्रताप की गाड़ी मुक्त कराई। प्रताप और उसकी महिला मित्र को मुकम्मल सुरक्षा प्रदान किया। यही नहीं इस मामले में भूपेंद्र और संदीप नाम के कांवड़िये पर प्राथमीकी दर्ज की गयी है। दोनों आरोपित के खिलाफ कारवाई कर उनका चलान भी कर दिया गया है। अब इसमें सरकार की भूमिका किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ कहां नजर आती है?

अभी हाल ही में विश्व मुस्लिम लीग के महासचिव और सऊदी सरकार के पूर्व कानून मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा, छह दिवसीय भारत दौरे पर आये हुए थे। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ''भारत ने हिन्दू बाहुल्य राष्ट्र होने के बाद भी धर्मनिरपेक्ष संविधान अपनाया।'' उन्होंने भारत के इतिहास और विविधता की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न संस्कृतियों में संवाद स्थापित करना समय की मांग है। यह तो एक उदाहरण है। अभी हाल का दूसरा उदाहरण भी है। भारत ने पाकिस्तान के उस प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में समर्थन किया है जिसमें स्वीडन समेत कई यूरोपीय देशों में कथित रूप से कुरान की बेअदबी करने की निंदा की गयी थी। बावजूद इसके भारत की छवि को बदनाम करने और एक साम्प्रदायिक देश के रूप में प्रचारित करने की चाल चलने वाले बाज नहीं आ रहे हैं।

भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है। इसकी नीति में ही विश्व शांति छुपी है। यह देश केवल संविधान से पंथनिरपेक्ष नहीं है। इसकी मूल भावना में यह तत्व है। भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, जहां 80 प्रतिशत हिन्दू आबादी होने के बाद भी देश का संविधान पंथनिरपेक्ष है। दुनिया में ऐसा उदाहरण और देखने को नहीं मिलता है। यही नहीं दुनिया का एक मात्र देश भारत है जहां मुसलमानों के सभी फिरके फलफूल रहे हैं। यहूदी और पारसी भी यहां अमन और चैन से निवास करते हैं। यहां सभी धर्मो के लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। निश्चित रूप से भारत सदियों से मानवीय मूल्यों के संरक्षण करने वाला देश रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कमजोर देश जापान का समर्थन किया न कि संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन किया। भारत, चीनी साम्राज्यवाद के चपट में पड़ा तिब्बत को आज भी स्वतंत्र देश मानता है। शीत युद्ध के दौरान भारत ने न तो संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन किया और न ही साम्यवादी गणतंत्र रूस का समर्थन किया। आज भी भारत, यूक्रेन की वकालत कर रहा है। अफगान युद्ध के दौरान भारतीय कूटनीति ने कई मानवीय मिशन को वहां संचालित करने की पूरी कोशिश की। यदि मानवता की सुरक्षा करने का कोई समय आता है तो भारत उससे चूकता नहीं है। बावजूद इसके कुछ लोग भारत को सांप्रदायिक चश्मे से देखने की कोशिश लगातार कर रहे हैं।

चंद्रयान-3 ने कम लागत के अंतरिक्ष अभियानों में भारत की क्षमता सिद्ध की

शिमला। चंद्रयान-3 ने कम लागत के अंतरिक्ष अभियानों में भारत की क्षमता सिद्ध कर दी है। यह बात केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष मिशन कम लागत के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं।

उन्होने कहा कि 'रूसी चंद्रमा मिशन, जो असफल रहा था, की लागत 16,000 करोड़ रुपये थी वहीं चंद्रयान-3 मिशन की लागत लगभग 600 करोड़ रुपये थी। आप गौर करें कि चंद्रमा और अंतरिक्ष मिशन पर आधारित हॉलीवुड फिल्मों की लागत भी 600 करोड़ रुपये से अधिक होती है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमने अपने कौशल के माध्यम से लागत की पूर्ति करना सीख लिया है। उन्होंने कहा कि अब प्रश्न उठेंगे, ऐसा कैसे हुआ? तो हमने गुरुत्वाकर्षण बलों का उपयोग किया, अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की लगभग 20 परिक्रमाएँ कीं और प्रत्येक परवलय (पैराबोला) में वह तब तक ऊपर उठा, जब तक कि वह बाहर निकल कर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के नियन्त्रण में नहीं पहुंच गया और निर्धारित स्थान पर उतरने से पहले उसने चंद्रमा की 70-80 परिक्रमाएँ भी कीं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुसंधान एवं विकास प्रयासों में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'अनुसंधान- राष्ट्रीय अनुसंधान

फाउंडेशन' विधेयक लेकर आये, जिसे संसद के पिछले सत्र में लोकसभा द्वारा पारित किया गया और जिसमें पांच वर्षों में के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का बजट था।

उन्होंने कहा कि 'जब इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा, तो यह बड़ा गेम-चेंजर होगा। हम एक अद्वितीय सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए अनुसंधान निधि का रू 36 हजार करोड़ निजी क्षेत्र, ज्यादातर उद्योग से आना है, जबकि सरकार इसमें 14 हजार करोड़ रुपये लगायेगी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिससे अमेरिका और अन्य देश भी ईर्ष्या करेंगे।

उन्होंने कहा कि दो वर्ष पहले यह प्रावधान किया गया था कि कंपनियां अपने सीएसआर(कॉर्पोरेट समाजिक दायित्व) बजट का 10 प्रतिशत अनुसंधान एवं विकास पर लगा सकती हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था।

सामूहिक समन्वयन का आहवान करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच इस आपसी अविश्वास से छुटकारा पाना होगा। मंत्री ने कहा कि हम कभी भी अलग-अलग दायरे में काम करके भू-राजनीतिक दौड़ में सफल नहीं हो सकते।

हमें अपने मन से यह बात निकालनी होगी कि सरकार ही सब कुछ करेगी और इसे करना भी चाहिए, हालांकि जो देश विकसित हैं उन्होंने केवल अपनी सरकार पर निर्भर होकर इसे प्राप्त नहीं किया है। अगर आज नासा अमेरिका के लिए रॉकेट भेजता है, तो ऐसे मिशनों में अधिकतम योगदान निजी एजेंसियों और उद्योग द्वारा किया जाता है।

यह कहते हुए कि कोई भी सरकार हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रदान नहीं कर सकती, मंत्री ने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार उसी प्रकार नौकरी के अवसर पैदा करती है जैसे प्रधानमन्त्री मोदी ने किया है।

वर्ष 2014 में केवल 350 स्टार्टअप्स से, आज हमारे पास एक लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं, प्रशासनिक प्रौद्योगीजी (गवर्नेंस टेक्नोलॉजी) में भी स्टार्टअप्स उभरे हैं, जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुद्रा योजना के अंतर्गत युवाओं को बिना कुछ गिरवी रखे 10-20 लाख रुपये का आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है और इसीलिए, नवाचार को गति देने के लिए एक संपूर्ण वातावरण बनाया गया है।

निर्मित पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की तत्काल आवश्यकता:हरदीप एस पुरी

शिमला। आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस. पुरी ने निर्मित पर्यावरण के जीवनचक्र में स्थिरता और जलवायु अनुकूलता को सम्मिलत करने के दृष्टिकोण से शहरी नियोजन को देखने की आवश्यकता पर बल दिया। निर्माण उद्योग में नई और उभरती निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पुरी ने कहा कि मोदी सरकार ने शहरीकरण को बहुमुखी विकास के अवसर के रूप में देखा है और इसलिए भारत ने चेन्नई, राजकोट, इंदौर, लखनऊ, रांची और अगरतला में वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही वैश्विक परियोजनाओं के तहत विश्वभर की 54 नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकियों का चयन किया है। पुरी ने निर्माण लागत, समय, उपयोग में लाये गये सीमेंट और उत्पन्न कचरे में कमी के अतिरिक्त बढ़ी हुई थर्मल सुविधा और कम जीवनचक्र लागत सहित इन नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बहुत से लाभों का साझा किया।

आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने

को नियोजित शहरीकरण के लिए सबसे व्यापक कार्यक्रमों में से एक होने का गौरव हासिल है। इस पृष्ठभूमि में मंत्रालय की प्रमुख आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई -यू) का विशेष महत्व है, क्योंकि इसने टिकाऊ और हरित बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए भारत के शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास के मुद्दे पर ध्यान दिया है। पीएमएवाई-यू में हरित निर्माण प्रौद्योगिकियों के उपयोग को रेखांकित करते हुए पुरी ने उपस्थित जनसमूह को बताया कि 43.3 मिशन के तहत फ्लाईएश ईंटों/ब्लॉकों और एएसी ब्लॉकों जैसी स्थायी निर्माण सामग्री का उपयोग करके लाखों घरों का निर्माण किया जा रहा है। ये घर दिसंबर 2024 के अंत तक 9 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान देंगे।

आवास निर्माण क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय नवीनतम और अभिनव प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता दोहराई, क्योंकि इससे नए और आत्मनिर्भर भारत में जीवन की बेहतर गुणवत्ता में योगदान प्राप्त होगा। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय में सचिव श्री मनोज जोशी ने आधुनिक और हरित निर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और मुख्यधारा में लाने के महत्व को भी रेखांकित किया, जिससे देश को आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये निर्माण सामग्री देश की विभिन्न भू-जलवायु और खतरे की स्थितियों के अनुरूप तेजी से और बेहतर गुणवत्ता वाले आवास निर्माण की सुविधा प्रदान करती है। सीपीडब्ल्यूडी और एनबीसीसी के सहयोग से क्रेडाई द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में निर्माण और रियल एस्टेट उद्योगों के कई प्रतिभाशाली व्यक्ति एक जगह एकत्रित हुए।

प्राकृतिक खेती को अपनाकर शोभा बनी उत्कृष्ट महिला

मार्केट में सब्जियों की रहती है भारी डिमांड, मिल रहे हैं अच्छे दाम

अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति को तो सफलता मिल कर ही रहती है। देहरा उपमण्डल के खबली गांव की शोभा देवी कठोर मेहनत के बलबूते आज समाज के लिये प्रेरणा बन गयी हैं। 20 कनाल में सब्जियां

उगाकर परिवार का भरण-पोषण करने वाली 70 वर्षीय शोभा देवी ने उत्कृष्ट महिला किसान के रूप में पहचान बनाई।

शोभा देवी बताती हैं कि परिवार के सदस्य के आये दिन बीमार रहने लगे तो, उन्होंने खेतों में कीटनाशकों और रासायनिक खादों के प्रयोग को बंद करने का फैसला लिया। सब्जियों में अच्छी पैदावार और कीटों से रक्षा के लिए वे खेतों में जमकर खादों और कीटनाशकों को प्रयोग करती थीं। समय के साथ असर उनके पति के स्वास्थ्य और अन्य परिवारवालों की सेहत पर होने लगा। इसलिए उन्होंने परिवार और अपने सब्जी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जैविक खेती करना शुरु किया। लेकिन जैविक खेती में अधिक मात्रा में केंचुआ खाद और अन्य बाजार आधारित उत्पादों के प्रयोग के बावजूद उत्पादन कम होने से उत्पादन लागत बढ़ने से नुकसान हुआ।

शोभा देवी को प्राकृतिक के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पदमश्री सुभाष पालेकर से प्राप्त किया। शोभा देवी ने बताया कि इस खेती विधि के पहले ही साल में उनके उत्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं आई और कीटनाशकों तथा रासायनिक खादों का खर्च भी शून्य हो गया।

प्राकृतिक खेती अपनाने से आज बाजार में उनकी सब्जियों की खासी मांग है और दाम भी अच्छे प्राप्त हो रहे हैं।

शोभा देवी ने कहा कि खेती को रोजगार के रूप में अपनाने पर, उन्हें नई पहचान मिली है। आज वे उत्साह और आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। शोभा देवी प्रगतिशील महिला किसान के रूप में प्राकृतिक खेती के बारे में बड़े-बड़े मंचों पर अपने अनुभव साझा करती हैं। पूरे क्षेत्र के किसानों को भी प्राकृतिक खेती से जोड़ने का काम कर रही हैं। उत्साह और आत्मविश्वास से भरी शोभा देवी ने पॉलीहाउस में भी प्राकृतिक खेती आरम्भ कर मॉडल खड़ा कर दिया है। प्रदेश सरकार के सहयोग से शोभा देवी ने दो पॉलीहाऊस स्थापित कर प्राकृतिक खेती से बे-मौसमी सब्जियां उगाना आरम्भ कर दी हैं। प्राकृतिक बे-मौसमी सब्जियों के उत्पादन से इन्हें अच्छी खासी कमाई भी हो रही है।

मेहतन और आत्मविश्वास से परिपूर्ण शोभा देवी किसानों के लिए प्रेरणाश्रोत बन चुकी हैं और उनकी देखा देखी में क्षेत्र के अन्य किसान भी इस खेती विधि से जुड़ रहे हैं।

शोभा देवी ने बताया कि किसानों खासकर महिला किसानों को अपने खेतों में लाकर प्राकृतिक खेती का मॉडल दिखाती हूँ और इस खेती विधि के हुए लाभ के बारे में जानकारी देती हूँ। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिये उन्हें सरकार की ओर से अनुदान पर देशी गाय उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें लगभग प्राप्त हो रहा है।

वनों में क्षतिग्रस्त पेड़ों के प्रबन्धन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार

शिमला/शैल। प्रदेश के वन क्षेत्र में प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त पेड़ों के बचाव एवं इनके समुचित प्रबन्धन के लिए प्रदेश सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। इसमें ऐसे पेड़ों के कटान से लेकर इन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध करवाने तक की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं शीघ्र पूर्ण करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। निर्धारित समय अवधि में इस प्रक्रिया की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि वनों में प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त पेड़ों के निपटान तथा बिक्री में देरी से प्रदेश को भारी वित्तीय हानि होती है। उन्होंने कहा कि नई मानक संचालन प्रक्रिया से स्थानीय स्तर पर इमारती लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा परिवहन व्यय में कमी, राजस्व में वृद्धि तथा स्थानीय स्तर पर कार्यरत कर्मियों की क्षमता में भी वृद्धि सुनिश्चित होगी।

नई मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसे क्षतिग्रस्त पेड़ों का चरणबद्ध तरीके से प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रारम्भिक स्तर पर प्रदेश के चार वृत्तों हमीरपुर, धर्मशाला, सोलन एवं शिमला के पांच वन मण्डलों के अन्तर्गत सात वन परिक्षेत्रों में यह मानक संचालन प्रक्रिया प्रथम सितम्बर, 2023 से पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। इससे अगले चरण में प्रथम जुलाई, 2024 से इसे पूर्ण रूप से प्रदेश के छह वन वृत्तों के 70 वन परिक्षेत्रों तक विस्तारित किया जाएगा।

नई मानक संचालन प्रक्रिया के तहत किसी वन परिक्षेत्र में 25 से कम क्षतिग्रस्त पेड़ों के निपटाने के लिए एक निश्चित समय सारिणी तैयार की गई है, जिसमें पेड़ों के चिन्हांकन से लेकर इनके अन्तिम निपटान तक 30 दिनों की अवधि तय की गई है। माह के पहले सात दिनों में वन रक्षक और वन निगम के कर्मचारी आपसी सहयोग से इससे संबंधित ब्यौरा तैयार करेंगे। आगामी तीन दिनों में उप वन परिक्षेत्राधिकारी ऐसे पेड़ों का चिन्हांकन करेंगे और इससे संबंधित सूची वन परिक्षेत्राधिकारी को अगले तीन दिनों में सौंपेंगे। वन परिक्षेत्राधिकारी सात दिनों के भीतर पेड़ों के कटान, इन्हें लठ्ठों में बदलने और निर्दिष्ट डिपो तक उत्पाद के परिवहन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करेंगे। यह सब प्रक्रिया पूर्व निर्धारित दरों के तहत संबंधित वन मण्डलाधिकारी के समन्वय से तय समय अवधि में पूर्ण की जाएगी।

प्रभावी निपटान के लिए वन परिक्षेत्राधिकारी वन मण्डलाधिकारी को सूचित करेंगे और वह माह की 22 एवं 23 तारीख को वन निगम में अपने समवत से सम्पर्क कर निष्कर्षण लागत और परिवहन व्यय निर्धारित करने के बारे में अवगत करवाएंगे। इसके साथ ही वन मण्डलाधिकारी निष्कर्षण, परिवहन लागत और रॉयल्टी के आधार पर बिल तैयार कर इसे वन निगम के मण्डलीय प्रबन्धक को भेजेंगे। बिल की अदायगी पर माह की 24 से 26 तारीख के मध्य उत्पादित माल वन निगम को भेज दिया जाएगा। यदि वन निगम इसे लेने से मना करता है तो वन परिक्षेत्राधिकारी माह की 27 एवं 28 तारीख को विभागीय स्तर पर नीलामी की प्रक्रिया आरम्भ करेगा और इसके लिए हिमाचल प्रदेश वन विभाग के प्रबन्धन विंग द्वारा आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

इस प्रक्रिया को विस्तार देते हुए पेड़ों के चिन्हांकन, निष्कर्षण और निपटान से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। क्षतिग्रस्त पेड़ों की जियो टैगिंग के माध्यम से लिए गए छायाचित्रों को इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, वहीं परिक्षेत्र डिपो अथवा सड़क किनारे के डिपो में एकत्र की गई इमारती लकड़ियों के लॉट के बारे में भी इसमें जानकारी संकलित की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित इस सेवा से क्षतिग्रस्त पेड़ों के प्रबन्धन से जुड़े लागत-लाभ के आकलन की भी सुविधा मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री ने नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जीतने पर दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश के लिए गौरव का क्षण है कि देश के युवा खिलाड़ी ने विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने इस प्रतिष्ठित चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर पहले भारतीय एथलीट बनकर एक इतिहास रचा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नीरज चोपड़ा की यह अभूतपूर्व उपलब्धि युवाओं को अपने कौशल और जुनून से अपने-अपने खेलों में देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करेगी।

लोकमित्र केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के शुल्क का युक्तिकरण

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं के शुल्क के युक्तिकरण के संबंध में अधिसूचना जारी की है।

इस अधिसूचना के अनुसार सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली राजस्व विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन की दर अब 25 रुपये प्रति आवेदन निर्धारित की है। इनमें राजस्व विभाग कृषक प्रमाण पत्र, पिछड़ा क्षेत्र प्रमाण पत्र, हिमाचल निवासी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, डोगरा श्रेणी प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, स्वतन्त्रता सेनानी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निर्धन प्रमाण पत्र, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग प्रमाण पत्र, बेरोज़गार प्रमाण पत्र, भूमि अधिकार प्रमाण पत्र, नकल की प्रति से संबंधित आवेदन सम्मिलत हैं।

इसमें महिला एवं बाल विकास की बेटी है अनमोल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना और शगुन योजना के लिए आवेदन की सुविधा शामिल है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से सक्षम सशक्तिकरण विभाग की वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र तथा दिव्यांगता पहचान पत्र के आवेदन संबंधी सुविधा तथा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की परिवार रजिस्टर की प्रति, बी.पी.एल. प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शामिल हैं।

इसमें नगर निगम शिमला के अन्तर्गत विद्युत के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, डपिंग तथा कैनोपी की अनुमति भी शामिल है।

लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से बागवानी विभाग के अन्तर्गत किसान पंजीकरण/किसान आईडी निर्माण, मधुमक्खी पालन में कीटनाशकों की मांग और आपूर्ति परागण सहायता, फल नर्सरी लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन, पंजीकृत नर्सरी में फलों की विविधता को बढ़ाना, फल नर्सरी लाइसेंस का नवीनीकरण, आयातक द्वारा संयंत्र सामग्री के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र पंजीकरण जारी करना, फलों की डिब्बाबंदी के लिए अनुरोध, मशरूम उत्पादक के रूप में पंजीकरण, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंतर्गत अनुदान के आवेदन, कीटनाशक लाइसेंस जारी करना कीटनाशक लाइसेंस में कीटनाशकों का समावेश, कीटनाशक लाइसेंस का नवीनीकरण, पत्ती विश्लेषण के माध्यम से पौधों के पोषण पर परामर्श, बागवानी इनपुट और गतिविधियों के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन, (एमआईडीएच-आरकेवीवाई), गुणवत्तापूर्ण बागवानी इनपुट (पौधे, उपकरण और उपकरण) की मांग और आपूर्ति (एससीएसपी से एससीएसपी), मशरूम कम्पोस्ट की मांग एवं आपूर्ति, आयातक द्वारा संयंत्र सामग्री के आयात के लिए नवीनीकरण आवेदन, महक योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन, एसएमएएम योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन, हिमाचल खुम्ब विकास योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन, हिमाचल पुष्पक्राति योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए आवेदन, बागवानी विकास योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन, कृषि उत्पादन संरक्षण एंटी हेल के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन, मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीकरण योजना के अनुदान के लिए आवेदन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन, एंटी हेल नेट योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन भी शामिल है।

इसमें कृषि विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस योजना, मुख्यमंत्री ग्रीनहाउस जीर्णोद्धार योजना, कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत एंटी हेलनेट योजना, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, राज्य कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम के लिए आवेदन शामिल हैं। पशुपालन विभाग के सामान्य बी.पी.एल के तहत गर्भवती देसी/इंटेजेनास गायों के भरण-पोषण के लिए आवेदन, हिम कुक्कट पालन योजना, कृषिक बकरी पालन योजना, एससीएसपी के तहत देसी/स्वदेशी गाय/भैंस के भरण-पोषण, भेड़ पालकों को अनुदानित मेढ़ों के प्रावधान की योजना के लिए आवेदन सम्मिलत किए गए हैं।

लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश विद्युत बोर्ड के बिलों भुगतान के लिए घरेलु बिल के लिए प्रति बिल सेवा शुल्क पांच रुपये निर्धारित किया गया है। व्यावसायिक बिल के लिए यह शुल्क 10 रुपये प्रति बिल होगा।

नकल जमाबंदी निकालने के लिए प्रति पृष्ठ 10 रुपये शुल्क तथा ई-समाधान के माध्यम से शिकायत एवं मांग प्रस्तुत करने के लिए शुल्क 10 रुपये प्रति शिकायत/मांग निर्धारित किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार सरकार द्वारा व्यवसायिक सेवाओं के लिए आवेदन का शुल्क भी 50 रुपये प्रति आवेदन किया गया है।

इसके अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए सिनेमैटोग्राफ लाइसेंस के लिए आवेदन, पेट्रोलियम, डीजल और नेफ्था विनिर्माण की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा इनमें भंडारण, बिक्री, परिवहन के लिए आवेदन, पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस, विस्फोटक निर्माण तथा इनके भंडारण, बिक्री और परिवहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, पर्यटन कार्यक्रम - प्रदर्शन लाइसेंस, प्रवासी कामगारों को रोज़गार देने के लिए पंजीकरण आवेदन, मोटर परिवहन श्रमिक पंजीकरण के लिए आवेदन, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर पंजीकरण, प्रवासी कामगार ठेकेदार लाइसेंस पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन, प्रवासी श्रमिक ठेकेदार लाइसेंस नवीनीकरण, दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण, दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का नवीनीकरण, संविदा श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान का पंजीकरण, संविदा श्रम लाइसेंस के लिए आवेदन तथा संविदा श्रमिक लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए आवेदन शामिल हैं।

लोकमित्र केन्द्र के माध्यम से स्केनिंग के लिए 5 रुपये प्रति पृष्ठ, ब्लेक एंड व्हाईट पृष्ठ के प्रिंट के लिए 5 रुपये प्रति पृष्ठ और रंगीन प्रिंट के लिए 15 रुपये प्रति पृष्ठ का सेवा शुल्क निर्धारित किया गया है।

हेल्पलाइन नंबर 1100 को आपदा हेल्पलाइन में जोड़ा जाएगा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की 8वीं बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने आपदा के समय जान-माल को कम से कम नुकसान के दृष्टिगत अग्रसक्रिय रूप से कार्यवाही पर बल दिया। बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और इसके लिए तैयारियों से संबंधित विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के दृष्टिगत वर्तमान में वास्तविक समय के आधार पर मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए एक सुदृढ़ और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली विकसित करना आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हिमाच्छादित क्षेत्रों में पांच स्वचालित मौसम पुर्वानुमान प्रणालियां स्थापित करना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है और इस समस्या से पार पाने के लिए समुचित कदम उठाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ग्लेशियरों के पिघलने से बनने वाली अस्थायी झीलों की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान बांधों से पानी छोड़ने के लिए समुचित प्रणाली की अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए और बांधों से पानी रूक-रूक कर छोड़ा जाना चाहिए ताकि निचले क्षेत्रों में होने वाले नुकसान को सीमित किया जा सके। उन्होंने क्षमता निर्माण उपायों पर बल देते हुए कहा कि राज्य में 47390 स्वयंसेवियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उनकी सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा संबंधी हेल्पलाइन नंबर 1077 और 1070 के अतिरिक्त एक अन्य हेल्पलाइन नंबर 1100 को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए ताकि आपदा के समय प्रभावितों को समय पर समुचित सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने नागरिक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया और कहा कि इसके लिए युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि आपदा के समय एकजुट प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राजीव गांधी राजकीय डे-बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत भवनों के निर्माण में भूकंपरोधी तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बादल फटने की घटनाओं की पूर्व सूचना से संबंधित प्रणाली विकसित करने पर भी बल दिया ताकि इससे होने वाले नुकसान को न्यून किया जा सके। उन्होंने प्रदेश में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं पर अध्ययन करने के भी निर्देश दिए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भूकंप, भू-स्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए अति संवेदनशील है और आपदा संबंधित जोखिम को कम करने के लिए ऐसी घटनाओं से प्राप्त डाटा का संकलन और इसकी निरंतर निगरानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी सरकारी विभाग भी सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भूमि उपयोग आधारित योजना, पाठशालाओं, अस्पतालों सहित अन्य संवेदनशील भवनों की रेट्रोफिटिंग अनिवार्य की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी ढलानों के कटान, मलबा प्रबन्धन और निर्माण से निकलने वाले मलबे के लिए निर्धारित बिन्दुओं की पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए और जल निकासी व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, वित्त सचिव अक्षय सूद, सचिव शिक्षा अभिषेक जैन, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, विशेष सचिव राजस्व डी.सी. राणा, विशेष सचिव लोक निर्माण हरबंस सिंह ब्रसक न और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में बरसात के इस मौसम में राज्य में भारी बारिश के कारण हुई जान-माल की व्यापक क्षति पर दु:ख व्यक्त किया गया तथा इस आपदा में काल का ग्रास बने लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। राजस्व विभाग ने आपदा प्रबन्धन और सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति को हुए नुकसान पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी।

मंत्रिमण्डल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय लिया। इसके तहत समझौता ज्ञापन 40 वर्षों के लिए होगा और रॉयल्टी की दरें 12 वर्ष के लिए 15 प्रतिशत, अगले 18 वर्षों के लिए 20 प्रतिशत तथा शेष 10 वर्षों के लिए 30 प्रतिशत होंगी। इसके उपरांत परियोजना राज्य सरकार को बिना किसी लागत तथा सभी तरह की देनदारियों और ऋण भार से मुक्त वापिस मिल जाएगी। हालांकि, बढ़ी हुई अवधि के लिए राज्य को अदा की जाने वाली रॉयल्टी 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

बैठक में 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी चरण-1, 66 मेगावाट क्षमता की धौलासिद्ध, 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी बांध तथा 500 मेगावाट क्षमता की डुगर जल विद्युत परियोजना के लिए सतलुज जल विद्युत निगम एवं एन.एच.पी.सी को प्रदत्त बाधा रहित नि:शुल्क विद्युत र यल्टी की छूट वापस लेने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जल विद्युत परियोजनाओं से लिए जाने वाले जल उपकर की दरों का युक्तिकरण करने का भी निर्णय लिया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य में मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में बढ़ौत्तरी करने का भी निर्णय लिया। इसके तहत अब सेब और आम का समर्थन मूल्य 10. 50 रुपये के बजाय 12 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा और संतरे के लिए समर्थन मूल्य 9.50 रुपये से बढ़कर 12 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि नींबू एवं गलगल का समर्थन मूल्य आठ रुपये से बढ़कर 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा।

बैठक में मिड-डे-मील योजना के तहत कुक-सह-हेल्पर के मानदेय में प्रथम अप्रैल, 2023 से 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौत्तरी को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे उन्हें प्रतिमाह 3500 रुपये से बढ़कर 4000 रुपये का मानदेय प्राप्त होगा। इस निर्णय से इस योजना के तहत कार्यरत 21431 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमण्डल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 15 अगस्त, 2023 से गैर जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ी की दरें 224 रुपये बढ़ाकर 240 रुपये करने तथा जनजातीय क्षेत्रों में 280 रुपये से बढ़ाकर 294 रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में राज्य में सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में 874 उम्मीदवारों को पटवारी के रूप में और 16 पात्र चेनमैन को चयनित और प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया जिन्हें अगले पांच वर्षों में राज्य में तैनात किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों के उल्लंघन को कम करने और सड़क सुरक्षा मानदण्डों को सुनिश्चित करने के लिए तीन नए स्थापित यातायात सह पर्यटक पुलिस स्टेशनों के प्रबन्धन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद सृजित कर भरने को भी मंज़ूरी प्रदान की।

बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस एसिस्टेंट (आईटी) के 35 पद भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में 31 मार्च, 2023 और 30 सितम्बर, 2023 तक संयुक्त रूप से 11 वर्ष की दैनिक भोगी और अंशकालिक सेवाओं को पूर्ण करने वाले अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने वन भूमि में गिरे पेड़ों की गणना, चिन्हांकन, निष्कर्षण और निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की। इससे स्थानीय स्तर पर लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इसे अपरिष्कृत रूप में ढालने में भी मदद मिलेगी। साथ ही परिवहन लागत में कमी आएगी और राजस्व में भी वृद्धि होगी। इससे फील्ड स्टाफ की दक्षता में भी वृद्धि होगी।

बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 के तहत सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगमों, सरकारी उपक्रमों और अन्य संस्थानों में ई-टैक्सी किराये पर लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को अनुमति प्रदान की गई। इस योजना से युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत उपदान प्रदान करेगी। यह निर्णय वाहन प्रदूषण को कम करने तथा हरित राज्य बनने की ओर आगे बढ़ने में दूरगामी भूमिका निभाएगा। यह योजना 2 अक्तूबर, 2023 से कार्यान्वित की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने श्रम एवं रोजगार विभाग का नामकरण श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन (प्लेसमेंट) विभाग के रूप में करने को मंज़ूरी प्रदान की।

नीतिगत परिवर्तन और नए कानूनों से चुनौतियों से पार पाएगी प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के गेयटी थियेटर में नाटक 'रावी पार' के मंचन पर बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। रिक्रिएशन आर्ट एंड कल्चरल क्लब हिमाचल प्रदेश सचिवालय, द लिटल ग्रुप क्लब और भाषा कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दो दिवसीय इस कार्यक्रम से अर्जित आय आपदा राहत कोष में प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने नाटक के बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य विकट वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है लेकिन राज्य सरकार नीतिगत परिवर्तन और नए कानूनों से इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार संसाधन जुटाने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है और सभी के सहयोग से हिमाचल आगामी चार वर्षो में आत्मनिर्भर और दस वर्षों में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरेगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस समय राज्य बरसात में आई आपदा की त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। महत्त्वपूर्ण सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने के लिए राज्य सरकार दिन-रात प्रयासरत है। किसानों और बागवानों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और उनके वित्तीय नुकसान को कम करने के दृष्टिगत परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए अस्थाई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों की मदद करने के लिए संवेदनशील है। उन्होंने चंद्रताल में चलाए गए बचाव अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी के नेतृत्व में यह असाधारण बचाव अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि 14000 फीट की ऊँचाई पर चन्द्रताल झील में माइनस चार डिग्री तापमान में फंसे 300 लोगों को बचाने में इन दोनों के व्यक्तिगत प्रयास भी सराहनीय रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारपरक शिक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, महापौर सुरेन्द्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने आपदाग्रस्त क्षेत्र आनी का दौरा कर नुकसान का जायज़ा लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला के आपदाग्रस्त क्षेत्र आनी का दौरा किया और भू-स्खलन से क्षतिग्रस्त हुए घरों का जायज़ा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत की और कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी में रहने, खाने-पीने और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि अस्थायी शिविर में रहने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री ने प्रशासन तथा स्थानीय लोगों से भूस्खलन के कारणों की जानकारी भी हासिल की। उन्होंने संबंधित विभागों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर भवन गिरने के कारण गिरे मलबे को नियंत्रित तरीके से उठाने और खतरे की जद में आए भवनों को खाली करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्थानीय प्रशासन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने लोगों से अपील की वे असुरक्षित घरों को खाली कर दें तथा राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा-निर्देशों की पालना करें। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आनी उपमंडल के संपर्क मार्गो को जल्द बहाल करने के लिए निर्देश दिए ताकि बागवानों और किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में कोई दिक्कत पेश न आए।

उन्होंने सब्जी ढोने वाली छोटी गाड़ियों का परिचालन वाया जलोड़ी करने के निर्देश दिए ताकि कुल्लू व लाहौल-स्पिति के सब्जी उत्पादक अपने उत्पादों को मण्डियों तक पहुंचा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के संसाधनों पर हिमाचल के लोगों का हक है और आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए इन संसाधनों से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस मॉनसून में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है लेकिन राज्य सरकार हर प्रभावित तक मदद पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आनी उपमंडल में इस मानसून के मौसम में अभी तक 27 भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जबकि 87 भवनों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकारी और निजी सम्पति को भी काफी क्षति हुई है।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक लोकेंद्र कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार, एपीएमसी के अध्यक्ष राम सिंह मियां, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यूपेंद्र कांत मिश्रा, उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चन्द्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारत के लिए यह ऐतिहासिक और यादगार क्षण हैं क्योंकि आज हमारा देश चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है और पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए वे लम्बे समय से दिन-रात मेहनत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह भारत के वैज्ञानिकों की बड़ी जीत है।

उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी की स्थापना की थी, जिससे भारत के अंतरिक्ष अभियानों के लिए मजबूत नींव रखने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

नशे के दुष्प्रभावों बारे स्कूलों में लगेंगे जागरूकता बोर्ड:डॉ.अभिषेक जैन

शिमला/शैल। शिक्षा सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों में नशे की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग बच्चों में नशे की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए कारगर कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को स्कूल परिसर में नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी संबंधी जागरूकता बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा सचिव ने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों संबंधी संदेश को प्रभावशाली तरीके से बच्चों तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से बनाए गए ऑडियो-वीडियो संदेश के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जाएगा। विद्यालयों को नशीले पदार्थो के दुष्प्रभाव संबंधी व्याख्यान एवं गतिविधियां हर 15 दिनों में आयोजित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत, स्काउट्स एण्ड गाईड्स, एन.सी.सी., एन.एस.एस. और पी.टी.ए. को शामिल करके नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए सहयोग लिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि विद्यालयों में परामर्शकर्ता के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों के प्रधानाचार्य स्कूल में होने वाली नशे संबंधी किसी भी गतिविधि पर रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के सौ गज के दायरे में किसी भी तरह के नशीले पदार्थ को बेचना गैर कानूनी एवं दण्डनीय अपराध है और पुलिस व प्रशासन के अलावा इसकी सूचना अथवा शिकायत टॉल फ्री नम्बर 112 व 1908 पर की जा सकती है। शैक्षणिक संस्थानों को इस संबंध में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा सचिव ने कहा कि बच्चों को नशे की गर्त में जाने से बचाने के लिए अध्यापक स्कूलों में बच्चों को नियमित रूप से खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें ताकि उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सके।

बैठक में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या नड्डा प्रदेश में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आये थे या राज्यसभा सांसद के नाते

✔ मुख्यमंत्री ने क्यों पूछा प्रदेश के चारों सांसद कहां हैं?
✔ केंद्रीय सहायता के आंकड़ों को लेकर एक राय क्यों नहीं?
✔ क्या भाजपा ने बतौर पार्टी भी राहत में योगदान दिया है?

शिमला/शैल। इस समय पूरा प्रदेश भारी बारिश से आयी आपदा से जूझ रहा है। इस आपदा के लिए प्रकृति कितनी जिम्मेदार है और सरकार की नीतियां कितनी जिम्मेदार रही है। इसको लेकर भी राष्ट्रीय स्तर पर बहस चल पड़ी है। सरकारों की नीतियों को ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन आपदा की इस घड़ी में सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा कर ही समस्या हल नहीं हो जाता है। आज की आवश्यकता आपदा से प्रभावितों को तुरन्त राहत पहुंचाने और नये सिरे से निर्माण को खड़ा करने की है। सरकार एक निरन्तरता होती है। राजनीतिक नेतृत्व के परिवर्तन से सरकार की सोच और उसकी नीतियों एवं प्राथमिकताओं पर असर पड़ता है। परन्तु उसकी निरन्तरता पर नहीं। इस निरन्तरता के सच को स्वीकारते हुये लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश की जनता से क्षमायाचना करते हुये यह स्वीकारा है कि शायद पूर्ववर्ती सरकारों की कोई गलतियां रही होगी इतना नुकसान हुआ है। उन्होंने भविष्य को लेकर जनता से सुझाव भी मांगे हैं और भरोसा भी दिलाया है कि निर्माण को लेकर आगे कड़े फैसले लिये जायेंगे। बतौर लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का यह एक बड़ा ब्यान है। ऐसा ब्यान और किसी मंत्री का नहीं आया है। बल्कि जिस तर्ज पर कुछ ब्यान आये हैं उससे इस आपदा में भी राजनीति के प्रभावी होने की गंध आने लगी है।

जब यह आपदा घटी तब सभी जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावितों के साथ खड़े मिले हैं। प्रतिभा सिंह ने कुल्लू मंडी में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। फिर लोकनिर्माण मंत्री को साथ लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके उन्हें स्थिति से अवगत करवाया। इस मुलाकात के बाद प्रदेश को इन मंत्रियों से सहायता भी मिली। लोकसभा में हिमाचल का विषय रखने का मणिपुर के कारण समय नहीं मिल पाया यह प्रदेश की जनता को बताया। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर भी लगातार लोगों के संपर्क में रहे। अपनी सांसद निधि से सहयोग देने के साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के समक्ष भी वस्तुस्थिति रखी तथा राहत का प्रबंध किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकन्दर ने राज्यसभा में इस पर प्रश्न पूछा। प्रश्न पर मिला उत्तर और प्रश्न दोनों प्रदेश की जनता के सामने रखें। शिमला के प्रभावित क्षेत्रों में सांसद निधि से राहत बांटी। मुख्यमंत्री स्वयं अपने सहयोगियों के साथ फील्ड में उतरे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ संपर्क में रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस आपदा में प्रभावितों और सरकार के साथ खड़े रहे। केंद्र में जाकर प्रदेश का पक्ष रखा और सहायता प्राप्त करने में अपना पूरा योगदान दिया। इस आपदा में प्रदेश के पक्ष और विपक्ष के किसी भी नेता के सहयोग को कम आंकना सही नहीं होगा।

हिमाचल सरकार इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किये जाने की मांग के साथ ही राहत नियमों में ढील देकर प्रदेश की मदद करने का आग्रह कर रही है। क्योंकि इस आपदा में जान और माल का जितना नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति राज्य के अपने संसाधनों से हो पाना संभव नहीं है। इसके लिये केंद्र से अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता रहेगी। राज्य सरकार को इसके लिये केन्द्र से इस आपदा को राज्य आपदा घोषित करने में ही समय लग गया है। इसलिए केंद्र सरकार को भी अपने नियमों में छूट देने में कुछ समय लगेगा। लेकिन इस बीच केंद्र से जो सहायता मिली है कुछ उसके आंकड़ों को लेकर विरोधाभास क्यों सामने आ रहा है। इन आंकड़ों पर राज्य सरकार और नेता प्रतिपक्ष केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तथा भाजपा अध्यक्ष डॉ. बिंदल एकमत क्यों नहीं हो रहे हैं। क्या आंकड़ों की असहमति आने वाले लोकसभा चुनावों के कारण हो रही है। प्रदेश के सांसदों ने भी इस आपदा में राहत के लिये अपना पूरा योगदान दिया है। फिर मुख्यमंत्री सुक्खू को यह सवाल क्यों करना पड़ा की प्रदेश के चारों सांसद कहां हैं? उन्होंने अपने सवाल में राज्यसभा सांसदों को क्यों बाहर रखा? मुख्यमंत्री ने जिस तर्ज में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की प्रशंसा की है उससे यह सवाल उठने लगा है कि अभी जब नड्डा प्रदेश में आये थे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। क्या नड्डा का यह आना बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष था? क्या अब केंद्र किसी राज्य की सहायता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुशंसा पर करेगा? भाजपा देश का सबसे अमीर राजनीतिक दल है नड्डा बतौर अध्यक्ष भाजपा पार्टी की ओर से प्रदेश को कोई सहायता दे सकते थे। लेकिन ऐसी किसी सहायता का कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। जबकि उन्होंने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की तब शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी भी उस बैठक में शामिल थे। नड्डा के इस दौरे के बाद मुख्यमंत्री के ब्यानों के परिदृश्य में यह सवाल उठने लग पड़ा है कि 2024 के चुनावों के लिये नड्डा कोई बड़ी बिसात तो नहीं बिछा गये हैं। क्योंकि प्रदेश से राज्यसभा सांसद होने के नाते उनकी बड़ी भूमिका प्रदेश के संदर्भ में सामने नहीं आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में मुख्यमंत्री के ब्यान और नड्डा का आना संकेतों से भरा हुआ है।

टीसीपी का 20000 भवन मालिकों को नोटिस

क्या 20000 अवैध निर्माणों के खिलाफ करवाई होगी

शिमला/शैल। इस आपदा में जिस पैमाने पर भूस्खलन और मकान गिरने की घटनाएं सामने आयी हैं उससे यह सवाल उठ खड़ा हुआ है की बहुमंजिला निर्माण की अनुमति कैसे दी गयी है। नवम्बर 2016 में एन.जी.टी. ने शिमला में अढ़ाई मंजिल से अधिक निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इस प्रतिबंध के बाद भी हजारों की संख्या में अवैध निर्माण हुये हैं। न्यायालय तक आयी जानकारी के मुताबिक ऐसे अवैध निर्माणों की संख्या 20000 से अधिक है। इस आपदा में जब बहुमंजिला निर्माण चर्चा में आये हैं उसके बाद टीसीपी विभाग हरकत में आया है।

नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में भवन निर्माणों के नक्शे पास करने की जिम्मेदारी इन निकायों को दी गयी है। अब टीसीपी विभाग ने इन निकायों को निर्देश जारी किये हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे निर्माणों के खिलाफ कारवाई करें। इस कारवाई के तहत पहले कदम के रूप में नोटिस जारी किये जा रहे हैं। जिनके नक्शे नियमानुसार स्वीकृत होंगे केवल उन्हें ही निर्माण की अनुमति दी जायेगी। अवैध निर्माणों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने के भी निर्देश दिये गये हैं। प्रधान सचिव टीसीपी देवेश कुमार ने माना है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ नोटिस जारी किये जा रहे हैं। यह आरोप लग रहा है कि इन निर्माणों में पानी की निकासी का उचित प्रबंध नहीं किया गया है और न ही निर्माणों में उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रयोग हुआ है।

इस आपदा के बाद उठी आलोचनाओं के कारण सरकार ने भवन निर्माणों के लिये वांछित मानकों का सख्ती से अनुपालना किये जाने के निर्देश जारी किये हैं। लेकिन इसी के साथ यह आशंकाएं भी उभर रही हैं कि यह सख्ती के निर्देश आपदा के कारण सरकार की नीतियों पर उठते सवालों का माध्यम होकर ही न रह जायें। जिन संबद्ध अधिकारियों ने ऐसे अवैध बहुमंजिला निर्माणों के प्रति आंखें मूंद रखी थी जब तक उनके खिलाफ कारवाई नहीं होगी तब तक ऐसी अवैधताओं पर विराम लगाना कठिन हो जायेगा।